विधि एवं न्याय (क) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, जून ८, १९५९

संख्या एफ. ४ (३४) एल.जे./ए./५९:—राजस्थान आफिशियल लैंग्वेज एक्ट, १९५६ (एक्ट संख्या ४७ सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान लैजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स एमोल्यूमेन्ट्स) एमेन्डमेंट एक्ट, १९५९ (एक्ट संख्या २९ सन् १९५९) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९५९

(अधिनियम संख्या २९ सन् १९५९)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक ४ जून, १९५९ को प्राप्त हुई]

राजस्थान लैजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एंड मेम्बर्स एमोल्यूमेंट्स) एक्ट, १९५६ में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है :—

१. संक्षिप्त नाम:—यह अधिनियम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन अधिनियम, १९५९ कहलायेगा।

२. राजस्थान एक्ट ६ सन् १९५७ की धारा ४ का संशोधन:—राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (आफिसर्स एंड मेम्बर्स एमोल्यूमेंट्स) एक्ट, १९५६ (राजस्थान एक्ट ६ सन् १९५७) जो एतद्पश्चात् मूल एक्ट के नाम से निर्दिष्ट किया गया है, की धारा ४ में शब्द "two hundred rupees" के स्थान पर शब्द "two hundred and fifty rupees" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

३. राजस्थान एक्ट ६ सन् १९५७ की धारा ८ का संशोधन:—मूल एक्ट की धारा ८ की उप-धारा (१) के खंड (ख) में शब्द "twelve rupees and eight annas" के स्थान पर शब्द "fifteen rupees" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

प्रभुदयाल जोईवाल,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर।